23

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः– 3/2023 दायरा दिनांक 02.08.2023

पीठासीन अधिकारी :– श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

गुमान सिंह पुत्र कोमल जाति अहीर निवासी मामोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0
– प्रार्थी

बनाम

1. मोहनी बाई पत्नि मोतीलाल जाति सहरिया निवासी मामोनी तहसील शाहबाद जिला बारां राज0
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार शाहबाद जिला बारां राज0
– अप्रार्थीगण

उपस्थित :–
श्री कुवेर यादव :– अभिभाषक, प्रार्थी।
एक्स पार्टी :– अप्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू–राजस्व अधिनियम 1970

निर्णय दिनांक 29.08.2025

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 14(4) के अंतर्गत प्रस्तुत कर अप्रार्थीया को किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया है। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली एवं अप्रार्थी की तलबी की गई।

संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि – अप्रार्थीकम 1 के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 23.05.2006 सर्वथा अवैध विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि अप्रार्थीकम 1 के पक्ष में आवंटित की गई भूमि खसरा नं. 41 रकबा 2.19 बीघा, खसरा नं. 42 रकबा 0.09 बीघा, खसरा नं. 45 रकबा 1.08 बीघा के आवंटन बाबत् नियमानुसार कोई उदघोषणा जारी नही की गई है । वक्त आवंटन उपरोक्त वर्णित भूमि अनऑक्यूपाइड लेण्ड नही थी। सन् 2006 से पूर्व ही प्रार्थी ने उक्त भूमि से झाड काट कर काबिल काश्त बनाया व प्रार्थी आवंटन से 10 वर्ष पूर्व से निरन्तर काबिज काश्त था। आवंटन के पश्चात आज दिनांक तक भी प्रार्थी का ही कब्जा है। उक्त भूमि आवंटन किये जाने योग्य नही थी लिहाजा आवंटन खारिज किये जाने योग्य है।

यह कि अप्रार्थीकम 1 के पति के पास ग्राम मामोनी में खसरा नं. 101 की 2.18 बीघा भूमि, खसरा नं. 285 की 0.04 बीघा भूमि किता 2 रकबा 3.02 बीघा, ग्राम महुडीखेडा में खसरा नं. 46 की 6.01 बीघा भूमि, ग्राम महुडीखेडा में खसरा नं. 54/174 की 15.00 बीघा भूमि सहित अन्य राजस्व ग्रामो में वक्त आवंटन अप्रार्थीकम 1 के पति के खाते में दर्ज थी। अप्रार्थीकम 1 भूमि हीन की श्रेणी में नही आते थे, अप्रार्थीकम 1 के आवंटन प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी द्वारा धारित जमीन के तथ्य का कपटपूर्वक दूराव किया है तथा हल्का पटवारी से मिलीभगत कपटपूर्वक उपरोक्त वर्णित भूमि धारित होने के तथ्य का दुराव कर

कपटपूर्वक दुर्व्यपदेशन से स्वयं को भूमिहीन बताकर आवंटन आदेश प्राप्त किया है। उपरोक्त आवंटन सर्वथा कपटपूर्वक, दुव्यपदेशन से ग्रस्त होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है ।

यह कि अप्रार्थीकम 1 का अवांटन केवल कागजी है, अप्रार्थीकम 1 द्वारा कभी भी आवंटन के पश्चात दखल प्राप्त नही किया गया । प्रार्थी निरन्तर काबिज काश्त है । प्रार्थी के कब्जे की जमीन का तथ्य छिपाकर धोखाधडी से आवंटन आदेश प्राप्त किया है। लिहाजा उपरोक्त आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है।

यह कि आवंटन आदेश का ज्ञान प्रार्थी को नही था, अप्रार्थीकम 1 द्वारा प्रार्थी की झूंठी शिकायत करने पर उक्त आवंटन की नकल दिनांक 01.08.2023 को प्राप्त होने पर ज्ञान हुआ। तिथि की जानकारी से प्रार्थना पत्र अवधि मध्य पेश है।

अप्रार्थीया बावजूद सूचना अनुपस्थित रही है इनके विरूद्व एक पक्षिय कार्यवाही अमल मे लायी जाती है

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की एकपक्षिय बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये बहस के दौरान कथन किया कि उक्त भूमि वक्त आवंटन प्रार्थी के कब्जे में थी, आवंटन से पूर्व से ही प्रार्थी का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थीया कम 1 का आवंटन केवल कागजी है। अप्रार्थीकम 1 द्वारा कभी भी आवंटन के पश्चात दखल प्राप्त नही किया गया । प्रार्थी निरन्तर काबिज काश्त है । प्रार्थी के कब्जे की जमीन का तथ्य छिपाकर धोखाधडी से आवंटन आदेश प्राप्त किया है। इस प्रकार का किया गया आवंटन विधी विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी के तर्कों व बहस का अवलोकन कंर मनन किया तथा पत्रावली का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी पर आवंटन से पूर्व से ही प्रार्थी का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वक्त आवंटन मौके पर भूमि खाली नहीं थी, आवंटी का आज तक कब्जा नहीं रहा। आवंटन पूर्व से प्रार्थी का ही कब्जा रहा है। परन्तु आवंटन से पूर्व प्रार्थी का कब्जा केवल अतिचारी का है चूंकि यह कानूनी कब्जा नहीं हैं। इसलिए सभी उद्देश्यों के लिए विवादित भूमि को आवंटन के लिए उपलब्ध मान लिया जाना चाहिए और उनके कब्जे को सुरक्षित नहीं किया जा सकता और भूमि के अतिचारियों को कोई राहत नहीं दी जा सकती। प्रार्थी ने ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया जिससे आवंटन विधि विरूद्ध किया गया हो।

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू–राजस्व अधिनियम 1970 अस्वीकार किया जाता है तथा आवंटन सलाहकार समिति पूर्ण कोरम होने से किया गया आवंटन ग्राम मामोनी के खसरा नम्बर 41 रकबा 2.19 बीघा, खसरा नं. 42 रकबा 0.09 बीघा, खसरा नं. 43 रकबा 1.08 बीघा अप्रार्थीयां क्रम 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से उक्त भूमि का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त कलक्टर
शाहबाद (बारां)